निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 546) 11 अग्रहायण 1930 (शo)
पटना, मंगलवार, 2 दिसम्बर 2008

सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग

अधिसूचनाएं

19 नवम्बर 2008

बिहार पत्र–प्रतिनिधि मान्यता नियमावली– 2008

सं0 प्रेस–312/08–96–759–सू0ज0स0वि0—(बिहार सरकार द्वारा वैसे समाचार पत्रों/संवाद समितियों/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों/छायाकारों/प्रेस में कार्यरत व्यंग्य चित्रकारों को, जो कम से कम पचास प्रतिशत समाचार अथवा समाचार विश्लेषण का प्रकाशन/प्रसारण करते हैं, मान्यता देने संबंधी नियमावली।)

बिहार कार्यपालिका नियमावली की कंडिका–1 के क्रमांक–6 (छह) के अनुसार सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को प्रेस/इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि के संवाददाताओं को मान्यता प्रदान करने एवं उन्हें प्रेस प्रत्यायन पत्र जारी करने का दायित्व के निर्वहन हेतु पूर्व में निर्गत किये गये सभी नियमों का अवक्रमण करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ –
   (1) यह नियमावली "बिहार पत्र–प्रतिनिधि मान्यता नियमावली,–2008" कही जा सकेगी।
   (2) यह समाचार पत्रों, समाचार पत्रिकाओं, समाचार एजेंसियों तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया में कार्यरत छायाकार कार्टूनिस्ट प्रतिनिधियों तथा राज्य के मुख्यालय स्थित पत्र–प्रतिनिधियों/मुफस्सिल संवाददाताओं/ छायाकारों/लघु समाचार पत्रों के संपादकों को मान्यता प्रदान करने हेतु लागू होगी।
   (3) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. परिभाषाएँ :–विषय और सन्दर्भ में जबतक अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में –
   (क) "राज्य" से अभिप्रेत है "बिहार राज्य"
   (ख) "सरकार" से अभिप्रेत है "बिहार सरकार"
   (ग) "निदेशक" से अभिप्रेत है "बिहार सरकार के सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशक"
   (घ) "पत्र–प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है "संवाददाता"(यदि कोई दूसरा विकल्प नहीं हो संपादकीय विभाग का कोई व्यक्ति), "छायाकार", "चल चित्रकार", "व्यंग्य चित्रकार" जो किसी समाचार पत्र–पत्रिका संवाद समिति, समाचार छाया एजेंसी, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी अथवा प्रसारण प्रतिष्ठान नियम का प्रतिनिधि हो।

(ङ.) "समाचार पत्र" से अभिप्रेत है "नियतकालीन प्रकाशन" जिसमें सार्वजनिक समाचार अथवा सार्वजनिक समाचारों पर टीका टिप्पणी अन्तर्विष्ट हों।

(च) "इलेक्ट्रोनिक मीडिया" से अभिप्रेत है "नियतकालीन मीडिया संगठन" जो न्यूज बुलेटिन/करेंट अफेयर्स का प्रसारण करता हो तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करता हो। इसमें प्रसार भारती के अन्तर्गत कार्यरत दूरदर्शन/आकाशवाणी भी शामिल होंगे।

(छ) "न्यूज मीडिया" से अभिप्रेत है समाचारों और टिप्पणियों का प्रकाशक/प्रसारक और इसमें समाचार पत्र/वायर सर्विस, नन वायर सर्विस, न्यूज एजेन्सी, न्यूज फीचर एजेन्सी, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एजेन्सीज, न्यूज पोर्टल शामिल है।

(ज) "न्यूज एजेंसी" से अभिप्रेत है वह संवाद समिति जो विभिन्न समाचार पत्रों/इलेक्ट्रोनिक मीडिया को मिनट टू मिनट समाचारों का प्रेषण करता हो।

(झ) "संपादक" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो प्रेस एवं पुस्तक निबंधन अधिनियम– 1867 के अन्तर्गत समाचार पत्र का घोषित संपादक हो।

(ञ) "राज्य पत्र प्रतिनिधि मान्यता समिति" जिसके लिए आगे समिति शब्द का प्रयोग किया गया है, से अभिप्रेत है ऐसी परामर्शदातृ समिति जिसका गठन राज्य में स्थित कार्य करने वाले पत्र प्रतिनिधियों को मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार को सलाह देने के लिए किया गया हो।

(ट) "न्यूज पोर्टल" से अभिप्रेत है वह न्यूज वेबसाईट जो 24 घंटे समाचारों एवं करेंट अफेयर्स का प्रसारण करता हो।

3. समिति का गठन :–

(1) राज्य पत्र प्रतिनिधि मान्यता समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा एवं इस संबंध में अधिसूचना निर्गत की जायेगी।

(2) समिति की कार्यावधि अधिकतम दो वर्षों की होगी तथा कोई भी सदस्य लगातार दो बार ही समिति का सदस्य मनोनीत हो सकेगा।

(3) समिति– राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय एवं मुफ्फसिल के प्रेस प्रतिनिधियों को प्रेस प्रमाण पत्र देने के संबंध में अपनी सिफारिश करेगी तथा प्रेस प्रमाणीकरण के सन्दर्भ में समिति का निर्णय ही अंतिम माना जायेगा।

4. (1) प्रेस प्रमाणीकरण समिति के कुल सदस्यों की संख्या– 20 होगी जिसमें
राज्य से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के संपादक (जो किसी दैनिक समाचार पत्र से सम्बद्ध हों), बिहार श्रमजीवी पत्रकार संघ के एक प्रतिनिधि, लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के एक प्रतिनिधि, भारतीय प्रेस परिषद के एक प्रतिनिधि तथा (यदि वे इस राज्य के निवासी हो) तीन सदस्य इलेक्ट्रोनिक मीडिया के तथा एजेंसी के एक प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र के एक प्रतिनिधि दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के एक प्रतिनिधि में चयनित किया जायेगा। निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के संयुक्त निदेशक (प्रेस) समिति के संयोजक सदस्य रहेंगे।

(2) समिति की बैठक सामान्यतया तीन महीने में एक बार बुलाई जायेगी।

(3) बैठक के लिए एक तिहाई सदस्यों का कोरम होगा।

(4) बैठक के लिए 7 दिनों की पूर्व सूचना दी जायेगी, परन्तु आकस्मिक बैठक 24 घंटे की पूर्व सूचना पर भी बुलाई जा सकती है।

5. प्रेस प्रतिनिधियों को मुख्यालय स्तर की मान्यता :–

(1) मान्यता के लिए आवेदन पत्र–मान्यता प्रदान करने के लिए राज्य से प्रकाशित समाचार पत्र/पत्रिका के सम्पादक, संवाद समिति के सम्पादक/प्रबंध सम्पादक दूरदर्शन/प्रसारण प्रतिष्ठान अथवा निगम, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कार्यालय प्रधान द्वारा अपने संस्थान के प्रतिनिधि, छायाकार, व्यंग्य चित्रकार, चलचित्रकार आदि की योग्यता एवं अनुभव आदि की पूर्ण विवरणी के साथ सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशक के पदनाम से विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) में सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र भेजा जायेगा। प्राप्त आवेदनों को सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, आवश्यक जाँचोपरांत समिति के समक्ष रखेगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ पत्र प्रतिनिधि को सम्पादक/ब्यूरो प्रमुख की अनुशंसा भी रहना आवश्यक है तथा इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा कि आवेदक उनकी संस्था में कम से कम छह माह से कार्यरत हैं तथा संबंधित प्रतिनिधि को पत्रकारिता का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो।

(3) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ संबंधित पत्र प्रतिनिधि के दो अभिप्रमाणित स्टाम्प साईज के दो छायाचित्र संलग्न रहना आवश्यक होगा।

6. मान्यता की शर्त्तें–मान्यता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी प्रेस प्रतिनिधियों/को निम्नांकित शर्त्तें पूरी करनी आवश्यक है :–

(1) संबंधित प्रेस प्रतिनिधि का निवास, मान्यता की अवधि में, राज्य मुख्यालय के 25 किलोमीटर की परिधि में रहना आवश्यक है।

(2) उन्हें पत्रकारिता व्यंग्य चित्रकला, फोटोग्राफी, चल चित्र फोटोग्राफी के कम से कम तीन वर्षों के कार्यों का निरन्तर अनुभव हो तथा वे श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्त्तें एवं विधि प्रावधान) अधिनियम 1955 तथा समय समय पर यथा संशोधित व्याख्यापित एवं परिभाषित श्रमजीवी पत्रकार के रूप में पूर्णकालिक तौर पर नियुक्त हों, विशेष परिस्थिति में सरकार समिति की अनुशंसा पर अनुभव की सीमा शिथिल कर सकती है।

(3) यदि कोई दूसरा विकल्प नहीं हो समिति, यदि चाहे तो, संपादकीय विभाग के सम्पादक सहित, कार्यरत किसी प्रतिनिधि को भी मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा कर सकती है।

(4) स्वतंत्र पत्रकार को भी विशेष परिस्थितियों में समिति की अनुशंसा पर मान्यता प्रदान की जा सकती है, यदि वे सक्रिय रूप से पत्रकारिता में संलग्न हो तथा कम से कम 15 वर्षों तक किसी समाचार पत्र/एजेंसी, मीडिया में संवाददाता/छायाकार के रूप में कार्य कर चुके हों, तथा उस समाचार पत्र/एजेंसी/मीडिया से राज्य सरकार द्वारा प्रेस मान्यता पत्र प्राप्त रहा हो एवं उनकी वार्षिक आय पत्रकारिता से कम से कम शुद्ध रूप में 25 हजार रु0 वार्षिक हो। इसके लिए उन्हें प्राप्त चेक/बैंक ड्राफ्ट आदि की प्रति आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी। साथ ही, उनके द्वारा प्रकाशित समाचार/लेख/छायाचित्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी।

7. अस्थायी मान्यता –

(1) किसी मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधि के स्थान पर उनके प्रतिस्थानी का विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने एवं विहित शर्त्तों को पूरा करने पर अल्प कालिक मान्यता प्रदान किया जा सकेगा।

(2) किसी बाहर से आये प्रवासी पत्रकार को अल्प कालिक मान्यता प्रदान कर सकते हैं, किन्तु स्थायी मान्यता प्रदान करने के लिए अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अनिवार्यतः विधिपूर्वक समिति की अनुवर्त्ती बैठक में विचारार्थ उपस्थापित किया जा सकेगा।

8. मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण – राज्य मुख्यालय स्थित समाचार पत्र/संवाद समिति/प्रसारण प्रतिष्ठान में मान्यता प्राप्त पत्र– प्रतिनिधियों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

(क) दैनिक समाचार–पत्र जिनका प्रकाशन राज्य मुख्यालय पटना से हो रहा हो–

(1) 10,000 तक प्रसार वाले समाचार पत्र के – दो प्रतिनिधि
(2) 25,000 तक प्रसार वाले समाचार पत्र के – चार प्रतिनिधि
(3) 50,000 तक प्रसार वाले समाचार पत्र के – छह प्रतिनिधि
(4) 1 लाख तक प्रसार वाले समाचार पत्र के – बारह प्रतिनिधि
(5) 1 लाख से ज्यादा प्रसार वाले समाचार पत्र के– पंद्रह प्रतिनिधि।

परन्तु विहित संख्या में कम–से–कम एक छायाकार को निश्चित रूप से समायोजित किया जाय।

नोटः–आवश्यकता एवं संदर्भ के अनुरूप समिति की अनुशंसा पर, प्रसार संख्या के घटने या बढ़ने पर प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि या कमी लायी जा सकेगी।

(ख) समाचार एजेंसी यथा–यू0एन0आई0, पी0टी0आई0 के मुख्यालय स्तर पर अधिकतम छः छः प्रतिनिधियों को राज्य मुख्यालय से प्रेस प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा। परन्तु इनमें कम से कम एक छायाकार का भी समायोजन किया जा सकेगा।

(ग) राज्य स्तर के इलेक्ट्रोनिक मीडिया जो 24 घंटे सैटेलाईट के माध्यम से समाचार का प्रसारण करते हैं यथा– आजतक, एन0डी0टी0वी0, स्टार टी0वी0, जी0टी0वी0, सहारा टी0वी0, ई0टी0वी0 के अधिकतम चार संवाददाता एवं अधिकतम चार कैमरामैन प्रेस प्रमाण पत्र के हकदार होंगे।

(घ) स्थानीय इलेक्ट्रोनिक मीडिया, जो 24 घंटे सेटेलाईट के माध्यम से समाचारों का प्रेषण करते हैं उनके अधिकतम पाँच संवाददाता एवं पाँच कैमरामैन प्रेस प्रमाण पत्र के पात्र होंगे। राज्य मुख्यालय से इंटरटेनमेंट चैनल जो समाचारों का भी समय–समय पर प्रसारण करते हों उनके चार संवाददाता एवं चार कैमरा मैन प्रेस प्रमाण पत्र के पात्र होंगे।

(ङ.) इलेक्ट्रोनिक मीडिया न्यूज एजेंसी यथा ए0एन0आई0 आदि के दो संवाददाता एवं दो कैमरामैन प्रेस प्रमाण पत्र के पात्र होंगे।

(च) मान्यता प्राप्त न्यूज पोर्टल के एक संवाददाता एवं एक कैमरामैन राज्य मुख्यालय से प्रेस प्रमाण पत्र के पात्र होंगे।

9. बिहार के बाहर से प्रकाशित राष्ट्रीय स्तर के एवं अन्य राज्य से प्रकाशित समाचार विषयक समाचार पत्र/पत्रिकाओं के एक संवाददाता एवं एक छायाकार को प्रेस प्रमाण पत्र सामान्यतः निर्गत किया जा सकेगा।

परन्तु पत्र की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए समिति इसमें वृद्धि कर सकती है।

10. मान्यता का प्रभाव–मान्यता प्राप्त हो जाने से संचार माध्यम के प्रतिनिधि को किसी प्रकार का सरकारी अथवा विशेष दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है। यह मात्र उसे सम्बद्ध नियोजक संचार माध्यम के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करके उसकी पहचान का प्रमाण है। इसका प्रयोग केवल पत्रकारिता के उद्देश्य एवं कार्य में ही किया जाना चाहिए। किसी भी पत्र प्रतिनिधि को अपने विजिटिंग कार्ड या लेटर पैड अथवा साहित्य पर बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त शब्द प्रकाशित करना अथवा प्रयोग करना सर्वथा वर्जित है।
11. मान्यता व्यक्तिगत–मान्यता व्यक्ति विशेष को दी जाती है, अतः उसे हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
12. पत्र–प्रतिनिधियों के लिए प्रेस कार्ड–मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधियों को एक प्रेस कार्ड दिया जायेगा जिस पर पत्र–प्रतिनिधि का स्टाम्प आकार का एक छाया चित्र तथा पत्र–प्रतिनिधि का हस्ताक्षर होगा।
13. मान्यता प्राप्त पत्र–प्रतिनिधियों की सूची – सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशक के कार्यालय में मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों की एक सूची रहेगी।
14. प्रेस कार्ड नष्ट हो जाना या खो जाना –किसी पत्र प्रतिनिधि के मान्यता प्राप्त प्रेस कार्ड नष्ट हो जाने या खो जाने की स्थिति में विधिवत शपथ पत्र (एफिडेफिट) या पुलिस रिपोर्ट (एफ0आई0आर की प्रति) के साथ संबंधित संपादक/नियोजक की अनुशंसा प्राप्त कर सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशक को आवेदन देना होगा। सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशक द्वारा डुप्लीकेट प्रेस प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

    कार्ड खोने और नष्ट होने की सूचना तुरंत ही सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशक को देना उचित होगा।
15. मान्यता की वापसी – निम्नलिखित परिस्थितियों में मान्यता वापस ली जा सकती है :–
    (क) यदि कोई मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधि उपलब्ध सूचनाओं एवं सुविधाओं को उपयोग पत्रकारिता के अलावे अन्य कार्यों के लिए करता हो।
    (ख) यदि प्रेस प्रतिनिधि के रूप में पत्र प्रतिनिधि का व्यवहार और कृत्य पत्रकारिता की गरिमा के प्रतिकूल हो।
    (ग) यदि संवाददाता पर अनैतिक कार्यों में संलग्न रहने का आरोप सिद्ध हो।
    (घ) यदि कोई पत्र प्रतिनिधि मान्यता के नियमों के किन्हीं प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य करता हो या यदि झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण तथा असत्य रिपोर्ट सनसनी फैलाने हेतु प्रकाशन के लिए भेजता है से संबंधित शिकायत/जानकारी मिलने पर।
    (च) यदि कोई पत्र–प्रतिनिधि गलत सूचना देते हैं तो उनकी मान्यता समाप्त की जायेगी तथा यथोचित कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। भारतीय प्रेस परिषद् में भी इस संबंध में शिकायत दर्ज करायी जाएगी।
16. मान्यता समाप्त करने की सूचना –प्रेस प्रतिनिधि को जिस संस्थान के संपादक/ब्यूरो चीफ की अनुशंसा पर प्रेस प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उस संस्थान से उक्त प्रेस प्रतिनिधि के हटने/हटाने/स्थानान्तरित होने/समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो जाने पर उनका प्रेस प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त माना जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रेस प्रमाण पत्र तत्काल वापस कर देना आवश्यक होगा। जबतक आलोच्य पत्र प्रतिनिधि का प्रेस कार्ड वापस सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशक को प्राप्त नहीं होगा उनके बदले उनके प्रतिष्ठान के किसी अन्य पत्र–प्रतिनिधि को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकेगी।
17. मान्यता की अवधि –समिति की अनुशंसा के बाद प्रेस प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी। मान्यता की अवधि दो वर्ष की होगी।
18. निर्णय के विरूद्ध अभ्यावेदन–समाचार पत्र/संवाद समिति/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्र–प्रतिनिधि इन नियमों के अन्तर्गत लिये गये किसी भी निर्णय के विरूद्ध सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के समक्ष प्रत्यावेदन कर सकते हैं। प्रत्यावेदन संबंधित पत्र प्रतिनिधि को निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्तर्गत सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के समक्ष पहुँचा देना चाहिए। संबंधित व्यक्ति या संगठन को स्पष्टीकरण का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद राज्य सरकार समिति के परामर्श से जो निर्णय लेगी, वह अंतिम माना जायेगा।

बिहार के जिला एवं अनुमंडल मुख्यालयों में मान्यता प्रदान करने संबंधी नियमावली

1. ये नियम राज्य के समाचार पत्रों तथा अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों/संवाद समितियों/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जिला मुख्यालयों/अनुमण्डल मुख्यालयों में स्थित पत्र प्रतिनिधियों पर लागू होंगे।

2. जिला मुख्यालय/अनुमंडल मुख्यालय में स्थित पत्र प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–2) में समाचार पत्रों/संवाद समितियों/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सम्पादक/नियोजक /व्यूरो चीफ, द्वारा उस जिले के जिला पदाधिकारी को जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जायेंगे। आवेदन के साथ स्टाम्प आकार के दो स्व अभिप्रमाणित छाया चित्र भी भेजना आवश्यक है। संपादक द्वारा आवेदन पत्र में संवाददाता अथवा प्रेस प्रतिनिधि, जिसको मान्यता दी जानी है, का पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव संबंधी पूर्ण विवरण दिया जाय। जिलाधिकारी उस आवेदन पत्र को आवश्यक जाँचोपरांत अपनी अनुशंसा के साथ सूचना एवं जन–सम्पर्क निदेशक को भेज देंगे। सारी औपचारिकता पूरी होने पर आवेदन पत्र मान्यता समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा।

3. जिला/अनुमंडल मुख्यालय में मान्यता प्रदान करने के लिए समाचार पत्र/संवाद समिति/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्र–प्रतिनिधि के लिए निम्नांकित शर्तें पूरी करना आवश्यक है :–
   (क) सामान्यतः मान्यता की अवधि में पत्र प्रतिनिधि का निवास स्थान जिला/अनुमंडल मुख्यालय में ही होना चाहिए।
   (ख) उनका पूर्ण कालिक अथवा अंशकालिक व्यवसाय पत्रकारिता हो और वे सक्रिय पत्रकार हों।
   (ग) उन्हें सरकारी कार्यालयों/स्थानीय निकायों और अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठानों अथवा सरकार द्वारा संचालित निगमों का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

4. राज्य मुख्यालय के अलावे जिला मुख्यालयों से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने के लिए निम्नांकित बातें विचारणीय होंगी :–
   (क) प्रकाशन की अवधि
   (ख) समाचार पत्र का प्रकाशन
   (ग) समाचार पत्र का प्रसार तथा उसका प्रभाव
   (ध) मान्यता देने के लिए दैनिक पत्र की सप्रमाणिक ग्राहक संख्या कम से कम 10 हजार होनी चाहिए तथा समाचार पत्र का नियमित प्रकाशन कम से कम दो वर्षों से हो रहा हो। प्रसार संबंधी प्रमाण पत्र यथासंभव चार्टर्ड एकाउन्टेंट भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का होना चाहिए।

5. जिला मुख्यालय से प्रकाशित समाचार के प्रसार संख्या के अनुसार समिति उस समाचार पत्र के मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण उस जिले के लिए करेगी। प्रसार संख्या मे वृद्धि या कमी होने पर उसी अनुपात में मान्यता प्राप्त प्रेस प्रतिनिधियों की संख्या में भी वृद्धि या कमी की जा सकेगी।

6. जिला मुख्यालय में दैनिक समाचार पत्रों के दो प्रतिनिधि एवं एक छायाकार तथा अनुमंडल मुख्यालय से एक प्रतिनिधि एवं एक छायाकार एवं संवाद समिति के एक–एक प्रतिनिधि को मान्यता प्रदान की जा सकेगी।

7. महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक चैनल जिनका 24 घंटे समाचारों का प्रसारण होता हो, प्रत्येक जिले में उनके एक संवाददाता एवं एक कैमरा मैन को मान्यता दी जा सकेगी।

8. अनुमण्डल मुख्यालय से इलेक्ट्रोनिक मीडिया के एक संवाददाता एवं एक कैमरा मैन को मान्यता प्रदान की जा सकेगी।

   इन नियमों के अतिरिक्त राज्य मुख्यालय के प्रेस प्रतिनिधियों के लिए मान्यता संबंधी अन्य नियमों (जिन नियमों का उल्लेख इस नियम में नहीं हो) इस पर लागू होगा।

9. राज्य मुख्यालय तथा जिला एवं अनुमंडल मुख्यालय से केबुल के माध्यम से वैध रूप से समाचार बुलेटिन जारी करने वाले चैनल के लिए जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर एक संवाददाता एवं एक छायाकार को प्रेस प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है। दूरदर्शन अथवा अन्य सेटेलाईट न्यूज चैनल पर प्रायोजित कार्यक्रम के तहत समाचार प्रसारित करने वाले न्यूज चैनल के प्रेस प्रतिनिधि को भी प्रेस प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में समिति विचार कर सकती है तथा समिति की अनुशंसा पर प्रेस प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।

10. सरकारी मीडिया – (क) सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग के सचिव, निदेशक तथा बिहार सूचना सेवा के सभी पदाधिकारी/ छायाकार/ कैमरामैन/प्रेस शाखा से जुड़े कर्मी जो प्रेस मीडिया कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। वे भी प्रेस प्रमाण पत्र पाने के पात्र होंगे। साथ ही, राज्य सरकार के अन्य

विभागों के जन–सम्पर्क पदाधिकारी/समाचार संकलन करने वाले पदाधिकारी को भी मान्यता दी जा सकती है।

(ख) सूचना सेवा से सेवा निवृत्त अधिकारी, जो सेवा निवृत्ति के बाद भी सक्रिय रूप से प्रेस कार्य से जुड़े हों, उन्हें भी प्रेस प्रमाण पत्र देने का निर्णय निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग ले सकते हैं।

(ग) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के समाचार प्रभाग से जुड़े अधिकारियों, कैमरामैन को प्रेस प्रमाण पत्र दिया जा सकता है जिसकी अधिकतम संख्या पॉच होगी।

(घ) पत्र सूचना कार्यालय एवं भारत सरकार के न्यूज रील प्रभाग के एक–एक पदाधिकारी/कैमरामैन या छायाकार को प्रेस प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

(ड.) किसी भी प्रतिनिधि को किसी एक ही संस्थान/मीडिया के लिए प्रेस प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।

परन्तु सरकारी मीडिया यथा– सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पी0आई0बी0 एवं न्यूज रील से जुड़े अधिकारी/कैमरामैन को प्रेस प्रमाण पत्र सिर्फ पहचान के लिए दिये जायेंगे, वे इस प्रेस प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रेस प्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधा या कोई वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

11. राज्य सरकार को नियमावली में संशोधन/परिमार्जन करने या नियमावली के किसी प्रावधान को निरस्त करने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।